

19/6/18

वकील शायी उजायिरा वकील शायी ~~की~~ शर्मिष पत्र अत्यास  
 निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। वकील शायी के तर्क  
 रहे कि इसके हिस्से श्री शर्मिष के प्रतिवादी लब्ध।  
 दीर्घ व्यक्ति के बेषों पर आकाश ही मैंने पत्रवली  
 का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी शर्मिष  
 एवं प्रतिवादी। विवादित आशानी समुक्त खलेदादी की  
 शर्मिष ही इसलिए उभयपक्षान के लादेपला वाद वक  
 अत्यास निषेधाज्ञा के वाद किया जाता ही बाद पत्रक  
 मैरिट पर तय होजे हैं तथा विवादित आशानी का बेषान  
 हस्तान्तरण नहीं करे। मितल फंडल शुमार लेकर नब्दा  
 से कम हो। बाद पत्रक वाजिल हो।



(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
 मसूदा (अजमेर) राज०

